रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10072024-255313
CG-MH-E-10072024-255313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946
No. 504]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 जुलाई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/190.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,

   I. विनियम 23 में, उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(7) (क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ब्याज की रकम अदा करने, लाभांश (डिविडेंड) की रकम अदा करने और रिडीम करने पर मिलने वाली रकम अदा करने या मूलधन की रकम की चुकौती करने के उद्देश्यों से या फिर ऐसे किन्हीं दूसरे उद्देश्यों से एक रिकॉर्ड तिथि तय करेगा, जो बोर्ड द्वारा बताए जाएँ।

(ख) यह रिकॉर्ड तिथि ब्याज या लाभांश की रकम अदा करने, मूलधन की रकम की चुकौती करने की तय तारीख या किसी दूसरे कारपोरेट एक्शन की तय तारीख से पंद्रह दिन पहले की तारीख होगी।"

II. विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा पूरी सावधानी (तत्परता) बरता जाना (ड्यू डिलिजेंस किया जाना)

40. (1) डिबेंचर न्यासी, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय और ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) का पब्लिक इश्यू (सार्वजनिक निर्गम) खुलने से पहले, बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट):

(क) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IV के भाग-क में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा; और

(ख) गैर-जमानती ऋण प्रतिभूतियों (अनसिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IVक के भाग-क में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा।

(2) डिबेंचर न्यासी निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल किए जाने के समय, बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट):

(क) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IV के भाग-ख में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा; और

(ख) गैर-जमानती ऋण प्रतिभूतियों (अनसिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IVक के भाग-ख में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा।

(3) स्टॉक एक्सचेंज प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) और डिबेंचर न्यासी की ओर से प्राप्त 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) अपने वेबसाइट पर डलवाएगा।"

III. विनियम 44 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएंगे, अर्थात्,-

"(3) डिबेंचर न्यासी स्टॉक एक्सचेंज के पास 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट):

(क) जमानती ऋण प्रतिभूतियों (सिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IV के भाग-ख में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा; और

(ख) गैर-जमानती ऋण प्रतिभूतियों (अनसिक्योर्ड डैट सिक्यूरिटीज़) के मामले में, इन विनियमों की अनुसूची-IVक के भाग-ख में निर्धारित किए गए फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगा।

(3क) स्टॉक एक्सचेंज प्लेसमेंट मैमोरेंडम और डिबेंचर न्यासी की ओर से प्राप्त 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) अपने वेबसाइट पर डलवाएगा।"

IV. अनुसूची-I में, खंड 3.3.10 में, उप-खंड (क) के बाद और उप-खंड (ख) से पहले, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि, जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) की असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्लेसमेंट मैमोरेंडम दाखिल किए जाने की तारीख को सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वे प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या प्लेसमेंट मैमोरेंडम में लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय विवरणों का केवल एक वेब-लिंक और एक स्टैटिक क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) दे सकेंगे, बशर्ते कि:

(i) ऐसे सूचीबद्ध निर्गमकर्ता (लिस्टिड इश्युअर) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में पिछले तीन पूरे वर्षों हेतु, अलग-अलग तथा समेकित रूप से, कामकाज के मुख्य-मुख्य पहलुओं और मुख्य-मुख्य वित्तीय पहलुओं के लिहाज से एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसे उस सांविधिक लेखापरीक्षक (उन सांविधिक लेखापरीक्षकों) [स्टैट्यूटरी

ऑडिटर] द्वारा प्रमाणित किया जाए जिसके (जिनके) पास भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेन्ट संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट ऑफ इंडिया) के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी किया गया मान्य प्रमाणपत्र हो ।

(ii) उस स्टैटिक क्विक रिस्पॉन्स कोड (क्यूआर कोड) को स्कैन करने पर या वेब-लिंक पर क्लिक करने पर, स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट का वह हिस्सा खुल जाए जहाँ ऐसे निर्गमकर्ता (इश्युअर) के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण डलवाए गए हों ।"

V. अनुसूची-IV और अनुसूची-IVक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियाँ आ जाएंगी, अर्थात्,-

"अनुसूची – IV

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

भाग - क

[विनियम 40(1)(क) देखें]

प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय और निर्गम (इश्यू) के खुलने से पहले डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

प्रति,

स्टॉक एक्सचेंज

महोदय / महोदया,

विषय: __________ लि. की ओर से ____________ के निर्गम (इश्यू) के संबंध में

हम, लाए जाने वाले उपरोक्त निर्गम (इश्यू) के डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) होने के नाते, यह उल्लेख करते हैं कि:

(1) हमने उपरोक्त निर्गम (इश्यू) से संबंधित दस्तावेजों की और ऐसे ही दूसरे संबंधित दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों की जाँच-पड़ताल कर ली है ।

(2) इस प्रकार की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर और निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर और विभिन्न संबंधित दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों के स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन के आधार पर, हम यह पुष्टि करते हैं कि:

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने जारी की जाने वाले ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में पर्याप्त जमानत (सिक्यूरिटी) रखने के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था कर ली है और/या इस संबंध में जरूरी कदम उठा लिए हैं ।

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने उपरोक्त संपत्ति (संपत्तियों) पर जमानत रखने के संबंध में हर जरूरी अनुमति / सहमति ले ली है ।

(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने रखी गई जमानत (सिक्यूरिटी) की समस्त जरूरी जानकारी दे दी है और साथ ही यह भी बता दिया है कि ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) के प्रति उसकी क्या देनदारी बनेगी ।

(घ) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / प्लेसमेंट मैमोरेंडम में आस्तियों (असेट) पर कोई और भार (चार्ज) सृजित करने के संबंध में ली गई हर जरूरी सहमति / अनुमति का जिक्र (डिस्क्लोज़र) कर दिया है, और इस प्रकार जमानत (सिक्यूरिटी) रखे जाने के संबंध में जो भी जानकारी प्रस्ताव दस्तावेज / प्लेसमेंट मैमोरेंडम में दी गई है वह डिबेंचर न्यासी के साथ किए गए करार (डिबेंचर ट्रस्टी एग्रीमेंट) के अनुसार ही है ।

(ङ) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने प्रस्ताव दस्तावेज / प्लेसमेंट मैमोरेंडम में उन सभी शर्तों आदि (प्रसंविदाओं / कोविनेन्ट) [जिनमें शामिल हैं – कोई साइड लेटर, तत्काल भुगतान करने संबंधी खंड, आदि] का उल्लेख कर दिया है, जो डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) में शामिल की जानी हैं ।

(च) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने यह वचन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल करने से पहले निर्गम (इश्यू) की शर्तों आदि के अनुसार डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के पक्ष में भार (चार्ज) सृजित कर लिया जाएगा।

स्थान:

तारीख:

निर्गम (इश्यू) का डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) [रबड़ की मुहर भी लगाएँ]

भाग - ख

[विनियम 40(2)(क) और विनियम 44(3)(क) देखें]

निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल किए जाने के समय डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

प्रति,

स्टॉक एक्सचेंज

महोदय / महोदया,

विषय: ___________ लि. की ओर से _____________ के निर्गम (इश्यू) के संबंध में

हम, लाए जाने वाले उपरोक्त निर्गम (इश्यू) के डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) होने के नाते, यह उल्लेख करते हैं कि:

(1) हमने निर्गमकर्ता (इश्युअर) की आस्तियों (असेट) पर भार (चार्ज) सृजित किए जाने से संबंधित दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल कर ली है।

(2) इस प्रकार की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर और निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर और विभिन्न संबंधित दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों के स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन के आधार पर, हम यह पुष्टि करते हैं कि:

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने, प्रस्ताव दस्तावेज / प्लेसमेंट मैमोरेंडम और डिबेंचर न्यासी के साथ किए गए करार (डिबेंचर ट्रस्टी एग्रीमेंट) के अनुसार, अपनी आस्तियों (असेट) पर डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) के पक्ष में भार (चार्ज) सृजित कर दिया है।

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने प्रस्ताव दस्तावेज / प्लेसमेंट मैमोरेंडम और डिबेंचर न्यासी के साथ किए गए करार (डिबेंचर ट्रस्टी एग्रीमेंट) के अनुसार डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने यह वचन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि इस प्रकार भार (चार्ज) सृजित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, उसे उप-रजिस्ट्रार (सब-रजिस्ट्रार), कंपनी रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइज़ेशन असेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी), आदि के यहाँ रजिस्टर करवाया जाएगा। निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने हर जरूरी जानकारी सही-सही और पर्याप्त रूप से दे दी है (रखी गई जमानत की जानकारी सहित), और साथ ही यह भी बता दिया है कि ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) के प्रति उसकी क्या देनदारी बनेगी।

स्थान:

तारीख:

निर्गम (इश्यू) का डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) [रबड़ की मुहर भी लगाएँ]

अनुसूची - IVक

डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

भाग - क

[विनियम 40(1)(ख) देखें]

प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करते समय और निर्गम (इश्यू) के खुलने से पहले डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

प्रति,

स्टॉक एक्सचेंज

महोदय / महोदया,

विषय: __________ लि. की ओर से ____________ के निर्गम (इश्यू) के संबंध में

हम, लाए जाने वाले उपरोक्त निर्गम (इश्यू) के डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) होने के नाते, यह उल्लेख करते हैं कि:

(1) हमने उपरोक्त निर्गम (इश्यू) से संबंधित दस्तावेजों की और ऐसे ही दूसरे संबंधित दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों की जाँच-पड़ताल कर ली है ।

(2) इस प्रकार की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर और निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर और विभिन्न संबंधित दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों के स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन के आधार पर, हम यह पुष्टि करते हैं कि:

(क) प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में दी गई हर जानकारी सही-सही और पर्याप्त रूप से दी गई है, ताकि लाए जाने वाले निर्गम (इश्यू) में निवेश करते समय निवेशक उस जानकारी के आधार पर सोच-समझकर निर्णय ले सकें ।

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने प्रस्ताव दस्तावेज में उन सभी शर्तों आदि (प्रसंविदाओं / कोविनेन्ट) [जिनमें शामिल हैं – कोई साइड लेटर, तत्काल भुगतान करने संबंधी खंड, आदि] का उल्लेख कर दिया है, जो डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) में शामिल की जानी हैं ।

(ग) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने यह वचन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल करने से पहले डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे ।

स्थान:

तारीख:

निर्गम (इश्यू) का डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) [रबड़ की मुहर भी लगाएँ]

भाग - ख

[विनियम 40(2)(ख) और विनियम 44(3)(ख) देखें]

निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा सूचीबद्धता (लिस्टिंग) हेतु आवेदन दाखिल किए जाने के समय डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'पूरी सावधानी (तत्परता) बरते जाने संबंधी प्रमाणपत्र' (ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट) का फॉर्मेट

प्रति,

स्टॉक एक्सचेंज

महोदय / महोदया,

विषय: __________ लि. की ओर से ____________ के निर्गम (इश्यू) के संबंध में

हम, लाए जाने वाले उपरोक्त निर्गम (इश्यू) के डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) होने के नाते, यह उल्लेख करते हैं कि:

(1) निर्गम (इश्यू) से संबंधित दस्तावेजों की की गई जाँच-पड़ताल के आधार पर और निर्गमकर्ता (इश्युअर), उसके निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों, अन्य एजेंसियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर और विभिन्न संबंधित दस्तावेजों, रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों के स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन के आधार पर, हम यह पुष्टि करते हैं कि:

(क) निर्गमकर्ता (इश्युअर) ने प्रस्ताव दस्तावेज / प्लेसमेंट मैमोरेंडम और डिबेंचर न्यासी के साथ किए गए करार (डिबेंचर ट्रस्टी एग्रीमेंट) के अनुसार डिबेंचर न्यास विलेख (डिबेंचर ट्रस्ट डीड) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(ख) निर्गमकर्ता (इश्यूअर) ने हर जरूरी जानकारी सही-सही और पर्याप्त रूप से दे दी है, और साथ ही यह भी बता दिया है कि ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) के प्रति उसकी क्या देनदारी बनेगी।

स्थान:

तारीख:

निर्गम (इश्यू) का डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) [रबड़ की मुहर भी लगाएँ]”

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./275/2024-25]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:

   (i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा,

   (ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा,

   (iii) 2 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119, द्वारा,

   (iv) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा,

   (v) 6 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135, द्वारा,

   संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th July, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF NON-CONVERTIBLE SECURITIES) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/190— In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021,

I. in regulation 23, after sub-regulation (6), the following shall be inserted, namely,-

"(7) (a) The issuer shall fix a record date for the purposes of payment of interest, dividend and payment of redemption or repayment amount or for such other purposes as specified by the Board.

(b) Such record date shall be fixed at fifteen days prior to the due date of payment interest or dividend, repayment of principal or any other corporate actions."

II. regulation 40 shall be substituted with the following namely,-

"Due Diligence by Debenture trustee

40. (1) The debenture trustee shall, at the time of filing the draft offer document with the stock exchange(s) and prior to the opening of the public issue of debt securities, furnish to the Board and to the stock exchange(s), a due diligence certificate:

(a) in case of secured debt securities, in the format as specified in Part A of Schedule IV of these regulations; and

(b) in case of unsecured debt securities, in the format as specified in Part A of Schedule IVA of these regulations.

(2) The debenture trustee shall at the time of filing of the listing application by the issuer, furnish to the Board and to the stock exchange(s), a due diligence certificate:

(a) in case of secured debt securities, in the format as specified in Part B of Schedule IV of these regulations; and

(b) in case of unsecured debt securities, in the format as specified in Part B of Schedule IVA of these regulations.

(3) The stock exchange shall disclose the offer document and due diligence certificates provided by the debenture trustee on its website."

III. in regulation 44, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely,-

"(3) The debenture trustee shall submit a due diligence certificate to the stock exchange:

(a) in case of secured debt securities, in the format as specified in Part B of Schedule IV of these regulations; and

(b) in case of unsecured debt securities, in the format as specified in Part B of Schedule IVA of these regulations.

(3A) The stock exchange shall disclose the placement memorandum and the due diligence certificates provided by the debenture trustee on its website."

IV. in Schedule I, clause 3.3.10, after sub-clause (a) and before sub-clause (b), the following shall be inserted, namely,-

"Provided that, issuers whose non-convertible securities are listed as on the date of filing of the offer document or placement memorandum, may provide only a web-link and a static quick response code of

the audited financial statements in the offer document or placement memorandum subject to the following conditions:

(i) Such listed issuers shall disclose a comparative key operational and financial parameter on a standalone and consolidated basis, certified by the statutory auditor(s) who holds a valid certificate issued by the Peer Review Board of the Institute of Chartered Accountants of India, for the last three completed years in the offer document.

(ii) The scanning of such static quick response code or clicking on the web-link, shall display the audited financial statements for last three financial years of such issuer on the website of the stock exchange where such data is hosted.”

V. Schedule IV and IV-A shall be substituted with the following, namely,-

“SCHEDULE IV

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE

Part A

[See Regulation 40(1)(a)]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE AT THE TIME OF FILING OF DRAFT OFFER DOCUMENT AND BEFORE OPENING OF THE ISSUE

To,

Stock Exchange

Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF ____________________ BY _______________LTD.

We, the Debenture Trustee (s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows:

(1) We have examined documents pertaining to the said issue and other such relevant documents, reports and certifications.

(2) On the basis of such examination and of the discussions with the issuer, its directors and other officers, other agencies and of independent verification of the various relevant documents, reports and certifications, WE CONFIRM that:

(a) The issuer has made adequate provisions for and/or has taken steps to provide for adequate security for the debt securities to be issued.

(b) The issuer has obtained the permissions / consents necessary for creating security on the said property (ies).

(c) The issuer has made all the relevant disclosures about the security and also its continued obligations towards the holders of debt securities.

(d) Issuer has adequately disclosed all consents/ permissions required for creation of further charge on assets in offer document/ placement memorandum and all disclosures made in the offer document/ placement memorandum with respect to creation of security are in confirmation with the clauses of debenture trustee agreement.

(e) Issuer has disclosed all covenants proposed to be included in debenture trust deed (including any side letter, accelerated payment clause etc.), in the offer document/ placement memorandum.

(f) Issuer has given an undertaking that charge shall be created in favour of debenture trustee as per terms of issue before filing of listing application.

PLACE:

DATE:

DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE WITH HIS RUBBER STAMP

Part B

[See Regulation 40(2)(a) and Regulation 44(3)(a)]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE AT THE TIME OF FILING OF LISTING APPLICATION BY ISSUER

To,

Stock Exchange

Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF ____________________ BY _______________LTD.

We, the Debenture Trustee (s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows:

(1) We have examined documents pertaining to creation of charge over assets of Issuer.

(2) On the basis of such examination and of the discussions with the issuer, its directors and other officers, other agencies and of independent verification of the various relevant documents, reports and certifications, WE CONFIRM that:

(a) The Issuer has created charge over its assets in favour of debenture trustee as per terms of offer document/ placement memorandum and debenture trustee agreement.

(b) Issuer has executed the debenture trust deed as per the terms of offer document/ placement memorandum and debenture trustee agreement.

(c) The Issuer has given an undertaking that charge shall be registered with Sub-registrar, Registrar of Companies, Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI), Depository etc., as applicable, within 30 days of creation of charge. The issuer has made all the relevant disclosures, which are true, fair and adequate, including that about the security and also its continued obligations towards the holders of debt securities.

PLACE:

DATE:

DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE WITH HIS RUBBER STAMP

SCHEDULE IV-A

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE

Part A

[See Regulation 40(1)(b)]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE AT THE TIME OF FILING OF DRAFT OFFER DOCUMENT AND BEFORE OPENING OF THE ISSUE

To,

Stock Exchange

Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF ____________________ BY _______________LTD.

We, the Debenture Trustee (s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows:

(1) We have examined documents pertaining to the said issue and other such relevant documents, reports and certifications.

(2) On the basis of such examination and of the discussions with the issuer, its directors and other officers, other agencies and of independent verification of the various relevant documents, reports and certifications, WE CONFIRM that:

(a) All disclosures made in the offer document with respect to the debt securities are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision as to the investment in the proposed issue.

(b) Issuer has disclosed all covenants proposed to be included in debenture trust deed (including any side letter, accelerated payment clause etc.), in the offer document.

(c) Issuer has given an undertaking that the debenture trust deed shall be executed before the filing of listing application.

PLACE:

DATE:

DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE WITH HIS RUBBER STAMP

Part B

[See Regulation 40(2)(b) and Regulation 44(3)(b)]

FORMAT OF DUE DILIGENCE CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE DEBENTURE TRUSTEE AT THE TIME OF FILING OF LISTING APPLICATION BY ISSUER

To,

Stock Exchange

Dear Sir / Madam,

SUB.: ISSUE OF ____________________ BY _______________LTD.

We, the Debenture Trustee (s) to the above mentioned forthcoming issue state as follows:

(1) On the basis of examination of documents pertaining to the issue and of the discussions with the issuer, its directors and other officers, other agencies and of independent verification of the various relevant documents, reports and certifications, WE CONFIRM that:

(a) Issuer has executed the debenture trust deed as per the terms of offer document/ placement memorandum and debenture trustee agreement.

(b) The issuer has made all the relevant disclosures, which are true, fair and adequate and also its continued obligations towards the holders of debt securities.

PLACE:

DATE:

DEBENTURE TRUSTEE TO THE ISSUE WITH HIS RUBBER STAMP"

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./275/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:

(i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.

(ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.

(iii) February 2, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.

(iv) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(v) July 6, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/135.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.10 23:11:41 +05'30'